

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर

सरकार बनाम बुटा किट - मन्दर सिट्टि जगण किट 5A5B

किस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत


सं. 54

सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
701/2018	<p>पटवारी हल्का 5A5B ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. 6A5 के मुरब्बा नं. $\frac{17}{42}$ के 759 बीघा, भूमिरकबा राज है जिस पर श्री बुटा किट - मन्दर किट पुत्र श्री जगण किट जाति बुटा किट सा 5A5B ने अतिक्रमण कर सम्बत् 2074 फसल रबी नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यावाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक 14/02/2018 को पेश है।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	<p>नोटिस क्रमांक 67 25/1/18</p> <p>कु सी आदेश क्रमांक 68 25/1/18</p> <p>14-2-18</p>

11/5/18 पञ्जाबली पेशा हुई 11R 4090 द्वारा निवासी
 पेशा हुई अतिरिक्त कोटावाला हाऊस सिई 5/0
 हाऊस सिई फसल GAS - राशिया द्वारा बजारी
 गरी अतिरिक्त निवासी राशि 950/- रहीं को
 कोटावाला द्वारा 95/11-5-18 द्वारा राशिया में जमा
 की गई। जो शामिल पञ्जाबली कर एवं जीआ
 दर्ज लेखों की जावे। पञ्जाबली कर एवं जीआ
 अतिरिक्त को कोटावाला कर कोटावाला कर
 जात कर लिया गया व वाताहत राशि अनुसार
 की गई। पञ्जाबली में शेष कायवाही आपकी
 जारी है। अतः पञ्जाबली फौजला नुमाय लेख
 दर्ज कर दर्ज की जावे।

बरजिस्टर की पृष्ठ सं. ...26... क्र.सं. ...03.
 दिनांक 22/5/18 राशि ...950... दर्ज किया।



तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

सं० 54 वर्ष 2018

न सरकार बनाम पट्टा सिंह - मन्दा सिंह 010 जगवसिंह

करण दिनांक 25/01/2018 निर्णय दिनांक 14/2/18

न उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

क्र. सं.	हुकम या कार्यावाही का इतिशायित्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
118	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बत् 2074 में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का S.A.S.B का प्रतिवेदन दिनांक 25/01/18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी पट्टा सिंह को पुत्र जगवसिंह जाति पट्टा सिंह निवासी S.A.S.B को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक S.A.S. मु.नं. 17/42 कुल 0.759 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 50% गुणा राशि 304 शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 404B को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 14/2/18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर</p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 26 की क्रम सं. 16 दिनांक 12-3-18 को 304- दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: right;">ता 0 रा 0 ले 0</p>	